यूको बैंक
मारत सरकार का उपक्रम

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 25.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे

(10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ)

ईएमडी जमा की जाएगी तथा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी का समय समाप्त होने से पूर्व संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप्ड की जाएगी।

चूंकि, यूको बैंक, निम्न वर्णित संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की देय राशि की उगाही हेतु प्रस्तावित (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन ''जैसा है जहां है'' एवं ''जो है जैसा है'' व ''जैसी है जहां भी है'' एवं ''बिना किसी रिकॉर्स'' के आधार पर कठोरतया इसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना से निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाईट पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

शाखा/ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि / बकाया देय राशि (सिक्योर्ड ऋण)	प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जे की तिथि / संबंधित अधिकारी का विवरण	25% राशि जमा खाता सं. एवं आईएफएससी कोड	आरक्षित कीमत ईएमडी / बोली वृद्धि) राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1. शाखा कार्यालय: परवाणू						
1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री संत राम शर्मा, 2. श्री संत राम पुत्र श्री तेलू राम	क्षेत्र 0-01-68 हेक्टेयर्स, मौजा टकसाल, परगना भगेट, तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश), खाता/खतौनी सं. 36 मिन/48 मिन, खसरा सं. 753/98 में सम्मिलित संपत्ति के सभी भाग एवं पार्सल श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री भगत राम द्वारा स्वामित्व। चौहद्दी: उत्तर: श्री तीर्थ राम का भवन, दक्षिण: पथ एवं अन्य रिक्त भूमि, पूर्व:अन्य स्वामी की संपत्ति, पश्चिम:रिक्त भूमि, मोर्टगेज विलेख बियरिंग सं. 23/2020 दिनांक 04.01.2020 रजिस्ट्रो कार्यालय-कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)	21.08.2024 रु. 28,67,456.58 तथा आगामी ब्याज और आकस्मिक प्रभार लागत आदि के साथ।	27.10.2025/भौतिक शाखा प्रबंधक गुरप्रीत सिंह मोबाईल: 9147404240 प्राधिकृत अधिकारी रिशु शुक्ला: 9147404190, ई-मेल: parwan@ucobank.co.in	खाता सं. 09871030080161 आईएफएससी कोड यूसीबीए0000987 एनईएफटी खाते का नाम यूको बैंक परवाणू	Rs. 36,60,000/- Rs. 3,66,000/- Rs. 25,000/-	25.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ)
2. शाखा कार्यालय: परवाणू						
1. श्री संत राम शर्मा पुत्र श्री तेलू राम, 2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री संत राम शर्मा	वर्ष 31.07.2018 के लिए जमाबंदी के अनुसार मौजा टकसाल, परगना भगेट, तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में स्थित खाता खतौनी सं. 44/56, 33/45, खसरा सं. 887/754/98 में सम्मिलित भूमि माप 0-01-89 हेक्टेयर्स (बिक्री विलेख सं. 93 दिनांक 06.03.2003 के अनुसार) और माप 0-01-71 हेक्टेयर्स (जमाबंदी के अनुसार) के सभी भाग एवं पार्सल, श्री विद्या देवी पत्नी श्री संत राम शर्मा द्वारा स्वामित्व। बिक्री विलेख के अनुसार क्षेत्र: 189 वर्ग मीटर। जमाबंदी एवं ईएमटीडी के अनुसार क्षेत्र: 171 वर्ग मीटर, मूल्यांकन के अनुसार क्षेत्र: 150.50 वर्ग मीटर। चौहद्दी: उत्तर:सुशील का भवन, दक्षिण: स्वामी की संपत्ति, पूर्व:अन्य की रिक्त भूमि, पश्चिम:गांव का पथ एवं श्री सरदार जी का मकान, बिक्री विलेख बियरिंग सं. 93 दिनांक: 06.03.2003, रजिस्ट्रो कार्यालय-कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)	21.08.2024 रु. 15,92,618.80 तथा आगामी ब्याज और आकस्मिक प्रभार लागत आदि के साथ।	19.12.2025/भौतिक शाखा प्रबंधक गुरप्रीत सिंह मोबाईल: 9147404240 प्राधिकृत अधिकारी रिशु शुक्ला: 9147404190, ई-मेल: parwan@ucobank.co.in	खाता सं. 09871030080161 आईएफएससी कोड यूसीबीए0000987 एनईएफटी खाते का नाम यूको बैंक परवाणू	Rs. 24,90,000/- Rs. 2,49,000/- Rs. 25,000/-	25.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ)
3. शाखा कार्यालय:बद्दीपुर						
श्री हरजीत सिंह	भूमि की मोर्टगेज माप: हरजीत सिंह पुत्र जगत सिंह के नाम में मौजा शामपुर, गोरखवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, (हिप्र.) में स्थित खेवट/खतौनी सं. 384/630, 631, किते 3 कुल माप 00.10.00 बीघे में सम्मिलित भूमि। चौहद्दी निम्नानुसार:उत्तर:बुध राम का भवन, दक्षिण:स्वयं की भूमि, पूर्व:रोड, पश्चिम:स्वयं की भूमि।	17.06.2025 रु. 21,19,778/- तथा आगामी ब्याज और आकस्मिक प्रभार लागत आदि के साथ।	04.09.2025/प्रतीकात्मक प्राधिकृत अधिकारी सरोज कुमार सिंह, मोबाईल: 9583335083 शाखा प्रबंधक-रूपेश शर्मा, मो.86288-84682, ई-मेल:badripur@ucobank.co.in	खाता सं. 09651032200001 आईएफएससी कोड यूसीबीए0000965 एनईएफटी खाते का नाम कोई लियन खाता नहीं	Rs. 15,75,000/- Rs. 1,57,500/- Rs. 25,000/-	25.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ)

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें: 1.बोलियां केवल निर्दिष्ट प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएंगी। ऑनलाईन बोलियां https://baanknet.comपर पधारने द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं।2. बोलियां बोली प्रपत्र से संलग्न अनुसार पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जानी हैं। मूल पहचान दस्तावेज मांग पर प्रस्तुत किया जाना है।3. 10 प्रतिशत अपसेट कीमत/आरक्षित कीमत प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित खाते विवरण आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से ईएमडी हेतु प्रस्तुत की जानी है अथवा ईएमडी एकल बोलीदाता के मामले में बिंदु सं. 6 में उल्लिखित वेबसाईट एक्सेसिंग द्वारा नीलामी प्रदाता की ई-वॉलेट से जमा की जा सकती है, कोट की गई बोली राशि आरक्षित कीमत से एक अधिक हो। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी को निरस्त/स्थगित करने अथवा एक अथवा अधिक बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।4. अचल संपत्ति की बिक्री पर, सफल बोलीदाता तत्काल प्रत्येक खाते के अंतर्गत उक्त उल्लिखित अनुसार बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से बिक्री राशि की पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि बिक्री आयोजित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को जमा करेंगे, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुन:बिक्री की जाएगी। 5. सफल बोलीदाता उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा करेगा। यदि सफल बोलीदाता कथित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल रहेगा तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को पुन: बिक्री की जाएगी। 6. इच्छुक बोलीदाता जिसे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोडिंग, बोली दस्तावेज प्रस्तुतीकरण में सहायता की आवश्यकता, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, ऑनलाईन इंटर-से बोली आदि पर नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाईट https://baanknet.com, मेसर्स पीएसबी एलायंस लि. (BAANKNET) संपर्क सं.+91 8291220220, ई-मेल आईडी: support.BAANKNET@psballiance.com पर संपर्क करें। किसी भी संपत्ति से जुड़ी पूछताछ के लिए अधिकृत अधिकारी या शाखा प्रबंधक से संपर्क करें, जैसा कि ऊपर प्रत्येक खाते के सामने अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/ब्रांच मैनेजर/मैनेजरों का विवरण दिया गया है। अगर ऋणी अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोली लगाने वाले को बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने से पहले बैंक को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बकाया राशि और अन्य खर्चों का भुगतान कर देता है, तो बिक्री कन्फर्म नहीं होगी। ऐसे मामले में, बैंक सफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर देगा।7. सांविधिक देय/देयताएं आदि, सरकार/स्थानीय निकाय के देय, यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। सफल बोलीदाता रु. 50 लाख से अधिक लागत की संपत्ति की 1 प्रतिशत टीडीएस का वहन करेगा। बोलीदाता को सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.comके माध्यम से जाने का परामर्श दिया जाता है अथवा नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। सभी प्रतिभागी बोलीदाता को वेबसाईट पर प्रदान की गई सभी शर्तों को पढ़ने एवं समझने का परामर्श दिया जाता है और वह सभी शर्तों के लिए बाध्य है। नीलामी सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक की पुष्टि का विषय है। आगे, संपत्तियों के संबंध में किसी पूछताछ हेतु, दस्तावेजों के सत्यापन तथा/अथवा बिक्री की नियम एवं शर्तें कार्यालय समय के दौरान उक्त वर्णित अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधकों से प्राप्त की जा सकती हैं।8. संपत्ति ''जैसी है, जैसी है और जो जहाँ है'' के आधार पर बेची जाएगी और बोली लगाने वाले को बैंक के चार्ज के अलावा किसी भी अथॉरिटी से प्रॉपर्टी के बारे में सावधानी से पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले प्रॉपर्टी के टाइटल, सीमा, क्वालिटी और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई प्रॉपर्टी, चार्ज, प्रॉपर्टी पर किसी भी अन्य मामले आदि के बारे में किसी भी तरह का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरफेसी अधिनियम-2002 के अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

ऋणी/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे बिक्री की पुष्टि से पहले ऊपर बताई गई राशि, साथ ही मौजूदा ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करें, ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बाकी बकाया, अगर कोई हो, तो ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक:03.03.2026

प्राधिकृत अधिकारी